International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(I), July - September, 2024, pp. 62-67

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाः ब्रिटिश शासन की विरासत

डॉ. अर्चना यादव*

सार

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था उतनी ही पुरातन है जितनी भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था। प्रत्येक अध्ययन विषय की नींव उसके व्यवहारिक पहलू पर रखी हुई है, अर्थात् किसी भी विषय के अध्ययन से पहले उसकी व्यवहारिक वस्तु स्थिति का जन्म हुआ। इसी प्रकार भारतीय प्रशासन भी पहले व्यवहार में आया फिर अध्ययन क्षेत्र का भाग बना। जिस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष के बाद अध्ययन क्षेत्र का विकास हुआ और इन सभी व्यवस्थाओं के संचालन व प्रबंधन के लिए प्रशासनिक संरचनाओं व संगठन की आवश्यकता पड़ी। प्रशासन सभी व्यवस्थाओं का केन्द्र बिन्दू है। भारतीय प्रशासन का उत्थान प्राचीन काल से ब्रिटिश काल तक व्यवहारिक रहा और उसके पश्चात् अध्ययन विषय का रूप ले पाया। इस इकाई में मुख्य रूप से भारतीय प्रशासन के व्यवहारिक पहलू से संबंधित उत्थान की समीक्षा के साथ विश्लेषण पर ध्यानाकर्षित करेगें। इसमें प्राचीन काल में भारतीय प्रशासन की विशेष कार्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगें। इसी प्रकार मुगल प्रशासन के संगठन तथा ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था व प्रणालियों के भारतीय प्रशासन पर प्रभावों को स्पष्ट किया जाएगा। इस इकाई में वर्तमान भारतीय प्रशासन की विशेषताऐं तथा इसकी सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक विकास से संबंधित भूमिका का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है।

शब्दकोशः *प्रशासनिक व्यवस्था, विरासत, रेग्युलेटिंग एक्ट, मार्ले–मिन्टो सुधार, माँटफोर्ड योजना, श्वेत पत्र।*

प्रस्तावना

ब्रिटिश प्रशासन (British Administration)

वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का निष्पक्ष अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होगा कि अधिकांशतः भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारत में सन् 1858 तक ब्रिटिश प्रशासन मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन रहा। यद्यपि ब्रिटिश सरकार समय–समय पर अधिनियम पास करके हस्तेक्षप करती तथा कम्पनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। सम्राट ने 1858 में कम्पनी को पूर्णतः अपने अधिकार में ले लिया। यद्यपि प्रारम्भ कम्पनी का कार्य विशुद्धतः व्यावसायिक था लेकिन इसने धीरे–धीरे सरकार या शासक निकाय का दर्जा प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने सन् 1600 से व्यापारिक कार्य शुरू किये तब पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी जैसी विदेशी शक्तियां पहले से ही व्यापार में लगी हुई थी।

इस प्रकार पूर्व के व्यापार पर अधिकार पाने के लिए अंग्रेजों को दूसरी यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इसके बाद ही उन्होंने प्रादेशिक आधिपत्य प्राप्त करने की भी चेष्टा की। मुगल साम्राज्य के समाप्त

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञाान विभाग), राजकीय महाविद्यालय, टहला, अलवर, राजस्थान।

होने और राजाओं तथा नवाबों के बीच विध्वंसात्मक लड़ाइयों के कारण ऐसा संभव हो सका। उदाहरण के लिए कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी सरकारों पर कब्जा कर लिया जो इससे पहले फ्रांस के अधिकार में थी। सन् 1757 में प्लासी युद्ध जीतने के बाद और इलाहाबाद की संधि के द्वारा उन्होंने सन् 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। साथ ही उन्हें इन प्रांतों पर प्रशासन और राजस्व की वसूली का अधिकार भी मिल गया। वस्तुतः सन् 1757 के प्लासी युद्ध और सन् 1857 के सैनिक विद्रोह के बीच, इन सौ वर्षों में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था और शीघ्र ही भारत ब्रिटिश राजमुकुट में एक बहुमूल्य हीरे के रूप में सुशोभित हो गया।

ब्रिटिशकालीन प्रशासन का वर्गीकरण (Classification of British Period Administration)

सुविधानुसार ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन के विकास को निम्नलिखित कालों में आंबटित किया जा सकता है।

- **1600 से 1765 तक का काल –** भारत में ब्रिटिश शासन का इतिहास काल 1600 ई॰ से प्रारम्भ होता है। उन दिनों इंग्लैण्ड में भारत की अपार धन सम्पत्ति की चर्चाएं होती थी। धन प्राप्त करने और समुन्द्री यात्राओं की उमंग ने अंग्रजों को भारत की ओर आकर्षित किया। सन् 1600 में एक राजलेख (चार्टर) द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी की स्थापना की जो 'ईस्ट इंडिया कंपनी' कहलाई। इस राजलेख द्वारा कंपनी को विदेशों में व्यापार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना प्रथम व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया। शनैः शनैः कंपनी ने भारत में अन्य व्यापारिक स्थानों पर अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापति किये। भारत में अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए थे। कालान्तर में वे साम्राज्य स्थापित करने की सोचने लगे।

सन् 1725 के राजलेख द्वारा कलकत्ता–बम्बई–मद्रास प्रसीडेन्सियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद् को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही इस राजलेख ने भारत स्थिति कंपनी की सरकार सपरिषद् गवर्नर जनरल को नियम, उपनियम और अध्यादेश पारित करने का अधिकार प्रदान किया। इस समय भारत में मुगल साम्राज्य का द्रुत गति से पतन हो रहा था। उसकी क्षीण होती शक्ति का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और 1757 में वे मुगल वंशज के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर बंगाल प्रान्त के वास्तविक शासक बन गये। प्लासी की जीत से ही वास्तविकता में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। सन् 1765 में मुगल बादशाह आजम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों की मालगुजारी वसूलने से लेकर दिवानी न्याय प्रशासन तक का उत्तरदायित्व कंपनी पर आ गया।

- **1765 से 1858 तक का काल –** बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक प्रशासन कंपनी के हाथों में आ जाने से कंपनी के अधिकारी स्वच्छन्द हो गए। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था जिसके कारण वे अनैतिक तरीकों से धन एकत्रित करने लगे। इससे कंपनी घाटे में चलने लगी। फलतः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की। ब्रिटिश सरकार और राजनीतिज्ञों को कंपनी के कुप्रशासन का आभास हो गया। तब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के क्रिया–कलापों की गहराई से जाँच करने के लिए गोपनीय समिति गठित की। गोपनीय समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में 1779 ई॰ में रेग्युलेटिंग एक्ट पारित करके कंपनी ने प्रशासन में अनेक परिवर्तन किये।
- **रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 –** इस एक्ट के द्वारा समस्त ब्रिटिश भारत के लिए एक अखिल भारतीय सरकार की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में भारत सराकर के प्रधान के रूप में गवर्नर जनरल और चार सदसीय परिषद् की स्थापना की गई गवर्नर जनरल को परिषद् की कुछ विधायी शक्तियां दी गई। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके निर्णयों के विरूद्ध प्रिवी कौंसिल में अपील का प्रावधान था। रेग्युलेटिंग एक्ट ने प्रशासन में केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की।

1781 में सैटिलमैण्ट एक्ट बनाकर कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। एक्ट ऑफ सैटिलमैण्ट के प्रभावी होने के बावजूद कंपनी के प्रबन्ध में सुधार न होने पर ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर प्रभावी नियत्रंण के लिए 1784 में पिट्स इण्डिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया। कंपनी ने व्यापारिक कार्य निदेशकों के तथा राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के हाथों में कर दिया। 1793 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के सर्वाधिकार को समाप्त करके समस्त ब्रिटिश लोगों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए गये। इस चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के कारखानों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। 1833 के चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद् में एक सदस्य (विधि विभाग) की वृद्धि की गई तथा मद्रास और बम्बई परिषदों की विधि निर्माण की शक्ति को समाप्त करके यह शक्ति गवर्नर जनरल को सौंपी गई।

1853 में चार्टर का निर्माण करके इसके तहत भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद् की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना था। भारतीय विधान परिषद् में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपनाया गया। इस परिषद् को कानून बनाने का अधिकार दिया। लेकिन इसमें अंतिम स्वीकृति गवर्नर की थी। तभी यह कानून बन सकता था। कंपनी के निदेशकों के अधिकारों में कमी की गई। इस प्रकार यह पहला अधिनियम था जिसके तहत भारत के लिए एक विधान–मण्डल की स्थापना की गई तथा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक ठोस कदम उठाया गया।

- **1858 से 1919 तक का काल –** 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन तथा कंपनी की अप्रभावी तथा अकुशल कार्य पद्धति के कारण 1858 में एक्ट को दी बैटर गवर्नमैण्ट ऑफ इण्डिया नाम से पारित करके भारत में शासन को कंपनी से हस्तांतरित करके ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल को अब 'वायसराय' के नाम से जाना जाने लगा। भारतीयों की देखरेख के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई जो ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का सदस्य होता था। राज्य सचिव के कार्यों में सहायता के लिए तथा उसे नियंत्रित रखने के लिए 15 सदस्यीय 'भारत परिषद्' की स्थापना की गई। इस परिषद् में भारतीयों को प्रातिनिधित्व नहीं दिया गया। यह राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।

1861 में उपरोक्त एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भारत परिषद् अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा बहुत ही अल्प लेकिन लोक प्रतिनिधित्व का श्रीगणेश हुआ। प्रांतीय विधान सभाओं को विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया तथा प्रान्तीय स्वायत्तता की नींव डाली गई। गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को नामांकित करने की शक्ति प्रदान की गई तथा गवर्नर जनरल की परिषद् में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। कुछ सुधारों के बावजूद अधिनियम में अनेक कमियां थी। इस अधिनियम में जहां गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार प्राप्त हुए थे वहीं दूसरी ओर परिषद् के सदस्यो को कोई विशेष अधिकार नहीं मिले। ये विधेयकों पर प्रश्न तक नहीं पूछ सकते थे। सन् 1885 में सर ए.ओ.ह्यूम द्वारा 'अखिल भारतीय कांग्रेस' का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन तथा विधि–निर्माण में अधिक प्रतिनिधित्व दिलाना था। स्थिति में सुधार के लिए सन् 1892 में भारतीय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियिम द्वारा भारतीय विधान परिषद् द्वारा नाम निर्देशित होने लगे। प्रान्तीय परिषदों के गैर–सरकारी सदस्य, विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगरपालिका आदि द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने लगे। परिषदों को राजस्व और व्यय के वार्षिक बजट पर विचार–विमर्श करने और कार्यपालिका से प्रश्न पर भी शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली, फिर भी इसमें अनेक कमियां थी। निर्वाचन की पद्धति अन्यायपूर्ण थी तथा निर्वाचित व्यक्ति वास्तव में जनता की प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

नवम्बर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिन्टो को भारत का वायसराय बनाया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। मार्ले उदारवादी विचारों के थे और भारतीय प्रशासन में

सुधारों के समर्थक थे। मिन्टो मार्ले के विचारों से सहमत थे। इनके द्वारा किये गए सुधारों को मार्ले–मिन्टों सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले–मिन्टों सुधार भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 में लागू किये गये। केन्द्र की विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और उसमे कुछ गैर–सरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया गया जिससे शासकीय बहुमत समाप्त हो गय। इस अधिनियम द्वारा विधानसभा परिषद् के विचार–विमर्श सम्बन्धी कार्यों में वृद्धि की गई। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया। इसी से भारत में पृथकवाद का बीजारोपण हुआ। मार्ले–मिन्टो सुधार उपयोगी था, लेकिन यह भारतीयों की आकाँक्षा को पूर्ण न कर सका।

- **1919 से 1947 तक का काल –** 1917 में भारत के नये सचिव मोंटेग्यू ने भारत में और अधिक सुधारों का समर्थन किया। इसके लिए मोंटेग्यू ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ भारत का भ्रमण किया और भारत की प्रशासनिक तथा राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया। 1918 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो मॉटफोर्ड योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें भावी सुधारों की योजना थी। इस प्रतिवेदन पर आधारित 'गवर्नमैण्ट ऑफ एक्ट, 1919 में पारित किया गया। जो भारत सरकार अधिनियम–1919 के नाम से जाना जाता है।

  इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी –

  - प्रान्त में दोहरे शासन को स्थापित करके एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। प्रशासन के विषयों को दो भागों में बांटा गया–केन्द्रीय विषय और प्रान्तीय विषय। केन्द्रीय विषयों पर केन्द्र तथा प्रान्तीय विषयों पर प्रान्तीय सरकार कानून बनाती थी। प्रान्तीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया–रक्षित विषय और हस्तान्तरित विषय।
  - केन्द्रीय विधान मण्डल को पहली बार द्वि–सदनीय बनाया गया। उच्च सदन को 'राज्य परिषद्' तथा निम्न सदन को 'विधानसभा' नाम दिया गया। उच्च सदन में 60 सदस्य(उपनिर्वाचित) तथा निम्न सदन में 144 (104 निर्वाचित) थे। स्त्रियों को न तो मताधिकार प्रदान किया गया और न ही परिषद् की सदस्या बनने का अधिकार दिया गया।
  - केन्द्रीय विधान मण्डल की अपेक्षा गवर्नर जनरल का वर्चस्व बनाए रखा गय।
  - केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी न कि केन्द्रीय विधान परिषद् के प्रति, लेकिन कुछ सीमा तक प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय विधानमण्डलों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद् की सदस्य सीमा समाप्त कर दी गई तथा भारतीय सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। यह कार्यपालिका शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी।

1919 का अधिनियम भारतीयों की आकाँक्षाओं को संतुष्ट न कर सका जिससे भारतवासी अधिक क्रुद्ध हो गए और गाँधी जी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारम्भ किया। इससे प्रभावित होकर सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन गठित किया गया। इस गोलमेज के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसकी जाँच ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति द्वारा की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत शासन अधिनियम –1935 पारित किया गया।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी –

- संघात्मक सरकार की स्थापना करना।
- केन्द्र और प्रान्तों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों को बनाकर किया गया केन्द्रीय सूची, प्रान्तीय सूची, समवर्ती सूची।
- संघीय न्यायलय (दिल्ली) की स्थापना।
- प्रान्तों में द्वैष शासन को हटाकर केन्द्र में लागू किया गया।

- प्रान्तों में स्वायत्त शासन स्थापित किया गया।
- केन्द्रीय विधान मण्डल में सदस्यों की सख्या बढ़ाई गई।
- प्रान्तीय कार्यपालिका गवर्नर और मंत्रिमण्डल द्वारा गठित की गई।
- प्रान्तों में द्वि–सदनीय विधान मण्डल की स्थापना की गई।
- निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर किया जाना तय हुआ।

1935 के अधिनियम की सभी दलों ने आलोचना की, लेकिन 1937 के चुनावों में सभी दलों ने हिस्सा लिया। कई प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत मिला। 1938 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ। ऐसी स्थिति में भारतीयों को खुश करके उनका युद्ध में सहयोग लेने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। इस मिशन के प्रस्तावों को सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। भारतीयों की मांगों की अवहेलना होने पर भारतीय नेताओं ने अपना धीरज खो दिया। 1942 में कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' छेड़ दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान के निर्माण के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करने हेतु कैबिनट मिशन भेजा।

कैबिनट मिशन ने निम्नांकित सिफारिशें प्रस्तुत की –

- भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता समाप्त की जानी चाहिए।
- ब्रिटिश रियासतों और प्रान्तों को मिलाकर एक भारत संघ बनाना चाहिए।
- भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे।
- अन्तरिम सरकार का गठन किया जाये जिसे देश के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो।
- देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का शीघ्र गठन किया जाए।

कैबिनेट मिशन का कार्य योजना सभी भारतीयों को स्वीकार्य थी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 2 सितम्बर, 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम–1947

वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया जिसमें निम्नांकित उपबन्ध थे –

- 15 अगस्त, 1947 को भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी।
- प्रत्येक स्वतंत्र राज्य में एक गवर्नर जनरल पद स्थापित होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैण्ड का सम्राट करेगा।
- दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को संविधान का अधिकार होगा।
- 14 अगस्त, 1947 के बाद दोनों राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा।
- नये संविधान के निर्माण तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत चलेगा।
- भारत राज्य सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमण्डल सचिव की नियुक्ति की जायेगी।
- भारतीय प्रान्तों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता का नियंत्रण समाप्त हो जायेगा।

15 अगस्त, 1947 को इस अधिनियम के प्रभावी होने से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा 26 जनवरी 1950 को भारत में नया एवं स्वतंत्र संविधान लागू हुआ जिसमें भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. B.L. Fadia and Kuldeep Fadia (2017), Indian Administration, Agra: Sahtya Bhawan.
2. Nazim Uddin Ahmed (2013), Indian Administration: Evolution and Development, New Delhi: Wizdam Press.
3. P.D. Sharma (2009), Indian Administration: Retrospect and Pnspects, Jaipur: Rawat.
4. R.K. Arora (2012), Indian Public Administration: Institutions and Issues, New Delhi: New Age International.
5. R. Abrar (2016), Indian Public Administration, New Delhi: Lisdern Press.
6. अमरेश्वर अवस्थी एंव आनन्द प्राकाश अवस्थी, भारतीय प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल : आगरा, 1995।
7. बी.एल.फड़िया, भारतीय प्रशासन, साहित्य भवन : आगरा।
8. मधुसदून त्रिपाठी, भारतीय प्रशासन, ओमेगा मब्लिकेशन्स : नई दिल्ली, 2012।
9. श्री राम माहेश्वरी, भारतीय प्रशासन, ओरियंट ब्लैकस्वॉन : हैदराबाद।
10. होशियार सिंह, भारतीय प्रशासन किताब महल : इलाहाबाद।

❖◆❖